

R-2563-1114



1. अर्जुनसिंह आ. श्री नन्नूसिंह
  2. रामचंद्र आ. श्री नन्नूसिंह
- दोनो निवासी-रेहटी, कृषक गुराड़खेड़ा,  
तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)

.....आवेदक गण

विरुद्ध

- ✓ 1. भेरूसिंह आ. श्री मोतीसिंह
  - ✓ 2. केसर बाई आ. श्री मोतीसिंह
  - ✓ 3. तारा बाई आ. श्री मोतीसिंह
  - ✓ 4. गोकल बाई बेबा श्री रामसिंह
  - ✓ 5. बलराम आ. श्री रामसिंह
  - ✓ 6. जीवनसिंह आ. श्री रामसिंह
  - ✓ 7. सरस्वती बाई आ. श्री भवानीसिंह
  - ✓ 8. घीसिया बाई आ. श्री भवानीसिंह
  - ✓ 9. कसू बाई आ. श्री भवानीसिंह
  - ✓ 10. रेवा बाई आ. श्री भवानीसिंह
  - ✓ 11. धापू बाई आ. श्री भवानीसिंह
- सभी निवासी-रेहटी, कृषक गुराड़खेड़ा  
तहसील रेहटी, जिला सीहोर म.प्र.

Board of Revenue, M.P. District

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, रेहटी, जिला सीहोर द्वारा प्रकरण क्रं. 7/अ-70/11-12 में पारित आदेश दिनांक 07/07/2014 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :-



प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र अधीनस्थ नयायालय के समक्ष ग्राम गुराड़खेड़ा, तहसील रेहटी, जिला सीहोर स्थित खसरा क्रं. 6/19 रकबा 1.38 एकड़ भूमि पर दिनांक 21/06/2009 के सीमांकन के आधार पर आवेदकगण के अनाधिकृत कब्जे को हटाने हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था आवेदकगण द्वारा कथित सीमांकन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और बिना सूचना के सीमांकन किया गया है इस कारण सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन

**न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2563-दो/2014 जिला सीहोर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p align="right">   <b>अध्यक्ष</b> </p>	<p align="right">  </p>